न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 2022	01.12.2022	09.06.2022

//उनवान//

1 प्रहलादसिंह पुत्र गौरीसहाय जाति अहीर निवासी सरूपसरायं नयागांव तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:– 1 श्री रणवीरसिंह यादव – वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक– **06.06.2023**

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 563/0.01, 564/0.01, 565/0.07, 561/0.24 वाके ग्राम सरूपसरायं तहसील मुण्डावर, अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। हाल ख0नं0 563, 564, 565 साबिक ख0नं0 478 से एवं हाल ख0नं0 561 साबिक ख0नं0 476 से पैमूद हुए है। साबिक ख0नं0 478 रकबा 7 बिस्वा था जो कि प्रार्थी द्वारा वाद दूरूस्ती का पेश करते हुए भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 को चुनौती देते हुए ख0नं0 478 को 10 बिस्वा का रकबा किये जाने का निवेदन उक्त वाद में किया था एवं ख0नं0 476 में से 3 बिस्वा रकबा कम किया जाकर ख0नं0 478 में शामिल किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे का निवेदन किया था। दौराने विचारण दावा बैअनुवानी अमरसिंह आदि बनाम शेरसिंह वगै0 में पक्षकारान में राजीनामा हो गया और राजीनामा में तत्कालीन प्रतिवादी ने राजीनामा के जरिये ख0नं0 साबिक 276 में से 2 एयर रकबा प्रार्थी/तत्कालीन वादीगण के साबिक ख0नं0 478 में मिलाने के बाबत इबारत लिखते हुए राजीनामा बाद तस्दीक अमरसिंह आदि बनाम शेरसिंह वगै0 में प्रस्तुत होकर शामिल मिसल होने पर इस प्रकार डिक्री किया गया कि ख0नं0 साबिक 476 रकबा 0.24 है0 में से 2 एयर रकबा कम किया जाकर ख0न0 साबिक 476 रकबा 0.22 है0 किया जावे एवं प्रार्थी के ख0नं0 478 में ख0नं0 साबिक 476 का 2 एयर रकबा जोड़कर रकबा 0.11 है0 अंकित किये जाने के आदेश जरिये निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 14.05.2018 को किये गये। उक्त डिक्री की पालना में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इंतकाल सं0 591 दर्ज व मंजूर किया जाकर ख0नं0 साबिक 478 का रकबा 0.09 है0 के स्थान पर 0.11 है0 एवं ख0नं0 साबिक 476 का रकबा 0.24 है0 के स्थान पर 0.22 है0 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया गया एवं उक्त इंतकाल सं0 591 का नोट जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में लिखा गया है। इस [illegible] की पालना अप्रार्थी द्वारा करा दी गई थी लेकिन वर्तमान सेग्रीगेशन के दौरान ख0नं0 [illegible] से [illegible] ख0नं0 563, 564, 565 पैमूद किये और साबिक ख0नं0 476 से हाल ख0नं0 561 पैमूद किया [illegible] हाल ख0नं0 563 रकबा 0.01 गैर मुमकिन बौरिंग, ख0नं0 564 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन [illegible] व ख0नं0 565 रकबा 0.07 है0 कर दिया एवं हाल ख0नं0 561 रकबा 0.22 है0 के स्थान पर वापिस 0.24 है0 ही दर्ज कर दिया। सेग्रीगेशन के दौरान लापरवाही के कारण डिक्री दिनांक 14.05.2018 [illegible] पालना में दर्ज किया गया इंतकाल सं0 591 पर गौर नहीं किया और उक्त इंतकाल सं0 591 की प्रविष्टियों को गौण करते हुए पुराने इन्द्राजात को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया जबकि जरिये डिक्री दिनांक 14.05.2018 के अनुसार इंतकाल सं0 591 के जरिये नई प्रविष्टियों को अमल में लाया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी प्रावधान है एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 की पालना करते हुए राजस्व नक्शा में ख0नं0 साबिक 476 में से 0.02 है0 की नाप का रकबा काटकर उक्त 0.02 है0 रकबा साबिक ख0नं0 478 में मिला दिया गया है, अब ख0नं0 563, 564, 565 के नक्शे के मुताबिक रकबा 0.11 है0 डिक्री के अनुसार साबिक ख0नं0 476 जिसका हाल ख0नं0 561 के राजस्व नक्शा में से तितम्मा काटकर 0.02 है0 रकबा साबिक ख0नं0 478 जिसके हाल ख0नं0 563, 564, 565 के नक्शे में मिला दिया है के अनुसार राजस्व नक्शा सही बनाया गया है आदि आदि अंकित करते हुए आराजी हाल ख0नं0 563/0.01, 564/0.01, 565/0.07 है0 एवं आराजी ख0नं0 561/0.24 है0 वाके ग्राम सरूपसराय तहसील मुण्डावर जिला अलवर का राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिपत्र के जरिये हाल ख0नं0 565 का रकबा 0.07 है0 के स्थान पर 0.09 है0 एवं हाल ख0नं0 561/0.24 है0 में से 0.02 है0 कम करके दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी पेशकार सरकार ने जवाब पेश किया। मुताबिक प्रस्तुत जवाब बिन्दू सं0 1 रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है शेष बिन्दू सं0 1 ला0 8 वादी स्वयं सिद्ध करे एवं बिन्दू सं0 9 स्वीकार है, बिन्दू सं0 10 कोर्ट फीस से संबंधित है अंकित करते हुए प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2078, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022, मिलान क्षेत्रफल, इंतकाल सं0 591, जमाबंदी सम्वत् 2069–2072, निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 14.05.2018 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी प्रार्थनापत्र के बावत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत रिकॉर्ड पेश कर दिये जाने का अभिकथन करते हुए प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने का निवेदन कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक चाहे गये अनुतोषानुसार राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं आराजी ख0नं0 561/0.24 वाके ग्राम सरूपसराय तहसील मुण्डावर में से 0.02 है0 रकबा कम करके ख0नं0 561 का रकबा 0.22 है0 दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के एवं ख0नं0 565 के रकबे 0.07 है0 के [illegible] दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] जावे जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय की प्रति के साथ पालना [illegible]

यह निर्णय आज दिनांक **09.06.2023** को मेरे द्वारा [illegible] की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested

09.06.2023

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०